अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का.आ.270 (अ) - पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2000 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 50) की धारा 38 की उपधारा (1) अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं.1165 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 26 दिसम्बर, 2000 में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को उपलब्ध करा दी जाती है साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था

और उक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी

अतः अब केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा 1 और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवास (वधशाला) नियम, 2001 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं**:-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) 'अधिनियम' से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1968 (1868 का 59) अभिप्रेत है;
(ख) 'वध' से खद्य के प्रयोजन के लिए किसी पशु को मारना या उसका नाशन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सभी ऐसे पशुओं पर वध किए जाने के लिए तैयार करने के उद्देशय से की जाने वाली सभी प्रक्रियाएं और प्रचालन भी है;
(ग) 'वधशाला' से वह वधशाला अभिप्रेत है जहां प्रति दिन 10 या 10 से अधिक पशुओं का वध किया जाता है और जो किसी केंद्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सम्यक रूप से अनुज्ञात या मान्यताप्राप्त है।
(घ) 'पशु चिकितसका' से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशुचिकित्सा परिपद में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

3. **मान्यताप्राप्त या अनुज्ञप्त वध शालाओं को छोड़कर अन्य स्थानों पर पशुओं का वध नही किया जाएगा**, - (1) कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी पशु का, ततसमय प्रवृत विधि के अधीन सशक्त किए गए सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा, वैसा किए जाने के लिए मान्ताप्राप्त या अनुज्ञात को छोड़कर अन्यत्र वध नहीं करेगा;
(2) किसी पशु का, जो :-
(i) समर्भा है; या
(ii) जिसका तीन मास से कम आयु का बच्चा है; या
(iii) तीन मास से कम आयु का है; या
(iv) पशुचिकित्साक द्वारा पमाणित नहीं किया गया है कि वध किए जाने योग्य स्थिति में है,
वध नही किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजना के लिए विनिर्दिष्ट नगरपालिका का अन्य स्थानीय प्राधिकारी वधशाला की क्षमता और उस क्षेत्र की स्थानीय जनसंख्या, जहां वधशाला स्थित है, को ध्यान में रखते हुए एक दिन में वध किए जा सकने वाले अधिकतम पशुओं की संख्या अवधारित करेगा।

(4) **प्रतिग्रहण क्षेत्र या विश्राम स्थल** (1) वधशाला के पास, पशु चिकित्सा निरीक्षण के अधीन रहते हुए, उपयुक्त आकार का पशु धन के लिए पर्याप्त प्रतिग्रहण क्षेत्र होना चाहिए।
(2) पशु चिकित्सक एक घंटे में 12 पशुओं से अनधिक और एक दिन में 96 पशुओं से अनधिक की पूर्ण रूप से जांच करेगा।
(3) पशुचिकित्सक पशु की जांच करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में आरोग्य प्रमाणपत्र देगा।
(4) वधशाला के प्रतिग्रहण क्षेत्र में वाहनों या रेल वैगनों से पशुओं की सीधी उतराई के लिए उपयुक्त ढलान होनी चाहिए और उक्त प्रतिग्रहण क्षेत्र में पशुओं के आहार और पानी के लिए पर्याप्त समुचित सुविधाएं होनी चाहिए।
(5) वधशाला में ऐसे पशुओं, जिनके बारे में सन्देह है कि वे सांसर्गिक और संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं, और झगड़ालू पशुओं के लिए उन्हें शेष पशुओं से अलग करने के उद्देश्य से पानी और आहार के इंतजाम के साथ पृथक विसंवर्धन बाड़े होने चाहिए।
(6) वधशाला में वध किए जाने वाले पशुओं के वर्ग के अनूसार पर्याप्त रखाव क्षेत्र का उपबंध होना चाहिए और उक्त रखाव क्षेत्र में पानी और आहार की सुविधाएं होनी चाहिए।
(7) वधशाला में विश्रामस्थलों पर ऊपर सुरक्षात्मक ओट होनी चाहिए।
(8) वधशाला में वधपूर्ण और बाड़ा क्षेत्र में अद्येय सामग्री अर्थात् :- फिसलनरहित हैरिंग जोन प्रकार की कंकरीट, जो खुरों द्वारा टूट-फूट सह सकने योग्य हो, या ईंट का खड़ंजा होगा और उसमें उपयुक्त जल निकास सुविधाएं बनी होनी चाहिए। उक्त अद्येय सामग्री के किनारों, जिनकी उंचाई 150 से 300 मि.मी. हो, का पशुधन के बाड़ा क्षेत्र की मेड़ के चारों ओर, प्रवेशमार्ग को छोड़कर, उपबंध किया जाएगा और उक्त बाड़ अधिमान्यतः ढकी हुई होनी चाहिए।

(5) **पशु विश्रमिकाएं** :- (1) प्रत्येक पशु, पशुचिकित्सक के निरीक्षण के बाद, वध किए जाने से पूर्व 24 घटे के विश्राम के लिए पशु विश्रामिका में रखा जाएगा।
(2) वधशाला की विश्रामिका उपयुक्त आकार की होगी जो विश्रामिका में रखे जाने वाले पशुओं के लिए पर्याप्त हो।
(3) ऐसी विश्रामिका के बाड़ों में उपबंधित स्थान प्रत्येक बड़े पशु के लिए 2.8 वर्गमीटर से और प्रत्येक छोटे पशु के लिए 1.6 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
(4) उक्त विश्रमिकाओं में रखे जाने वाले पशु किस्म और वर्ग पर निर्भर करते हुए पृथक रूप से रखे जाएंगे और ऐसी विश्रामिका का संनिमार्ण इस प्रकार का होगा कि गर्मी, सर्दी और वर्षा से पशुओं का बचाव हो जाए।
(5) विश्रामिका में पानी और पश्च मृत्यु निरीक्षण के लिए पर्याप्त

सुविधाएं होंगी।

6. **वध** – (1) वधशाला में किसी भी पशु का वध अन्य पशुओं के सामने नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी पशु को, इसके किसी विनिर्दिष्ट रोग या बीमारी से उपचार को छोड़कर वध किए जाने से पूर्व कोई रसायन औषधि या हारमोन नहीं दिया जाएगा।

(3) वधशाला के वधस्थानों में उपयुक्त विभाओं के पृथक-पृथक ऐसे खंडों का उपबंध किया जाएगा जो व्यष्टिम पशु के वध के लिए पर्यापत हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वध किए जाने वाला पशु अन्य पशुओं की दृष्टि में नहीं आए।

(4) प्रत्येक वधशाला में यथासंभव शीघ्र, वध, रक्त प्रवाह और दरेसी किए जाने से पूर्व पशुओं को अचेत करने के लिए पृथक स्थान का उपबंध होगा।

(5) वधशाला का प्रहार खंड इस प्रकार बनाया जा सकता हैं जो पशु के और विशेष रूप से धार्मिक वध, यदि कोई हो, के अनुकूल हो और ऐसा प्रहार खंड और उसके साथ रखे जाने का शुष्क स्थान इस प्रकार बना होगा कि बिना कटा-छंटा शव किसी प्रचालक द्वारा, पशुशव को निकास बेरियर से जाने दिए बिना, इस खंड से सुगमता से निकाला जा सके।

(6) वधशाला में, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त आकार से ढलवां रक्त-प्रवाह क्षेत्र का उपबंध होगा और इसकी स्थिति ऐसी होगी कि रक्त, वध किए जा रहे अन्य पशुओं या चर्म उतारने की क्रिया के अधीन कटे-छंटे शवों पर न गिरे।

(7) वधशाला में रक्त की नाली और संग्रहण अव्यवहित और समुचित होना चाहिए।

(8) वधशाला में फर्श धोने के पाइंट का आन्तरायिक सफाई के लिए उपबंध किया जाएगा और प्रहारक को आवधिक रूप से चाकू को रोगाणुरहित करने और अपने हाथ धोने के लिए, हाथ धोने का बेसिन और चाकू को रोगाणु रहित करने वाले घोल का भी उपबंध होगा।

(9) किसी वधशाला में पशुओं की दरेसी फर्श पर नहीं की जाएगी और वधशाला में पशुओं का चमड़ा उतारने या धरने के लिए समुचित साधन और औजारों के साथ चमड़ों या चर्मों के तुरन्त निपटाने के लिए साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(10) चमडा या चर्म तत्काल वधशाला से या तो बंद एक पहिया ठेला में या स्वतः बंद होने वाले दरवाजे सहित किसी ढालु प्रणाली द्वारा ले जाया जाएगा और किसी दशा में ऐसा चमड़ा या चर्म निरीक्षण के लिए वध वाले फर्श पर बिखेरा नहीं जाएगा।

(11) फर्श, धुलाई स्थल और पर्याप्त संख्या में निष्कीटक सहित हाथ धोने के बेसिनों का वधशाला के दरेसी क्षेत्र में पशुओं की टांगों, सीगों, उनके अफरा और अन्य अंगों को तत्काल निपटाने के साधनों का, कमानी भार पटलों या सरकवां दरवाजों या बंद एक पहिया ठेला के माध्यम से, उपबंध किया जाएगा और यदि किसी वधशाला में एक पहिया ठेला या ट्रकों का प्रयोग किया जाता है तो इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि स्थल पर एक पहिया ठेला या ट्रक, दरेसी रेलों के नीचे नहीं चलाया जाता है और ट्रकों के आवागमन के लिए साफ रास्ते का उपबंध किया जाता है।

(12) किसी वधशाला में वध किए गए विभिन्न प्रकार के पशुओं के सिरे के निरीक्षण के लिए समुचित पर्याप्त स्थान तथा उपयुक्त और उचित रूप से अवस्थित सुविधाओं का उपबंध किया जाएगा और उसमें हाथ धोने, औजारों के विसंक्रमीकरण, फर्श की धुलाई और कंडम की गई सामग्री के तत्काल पृथक्करण और निपटान के लिए युक्तिओं की समुचित प्रसुविधाएं होंगी।

(13) वधशाला के स्वामी द्वारा वधशाला में पशु शव, सिर और सिर की पहचान, निरीक्षण और सहसम्बन्ध के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।

(14) किसी वधशाला में ऐसे बक्कार और पृथक रूप से जल निकास क्षेत्र का या पर्याप्त आकार वाले क्षेत्र का जिसमें फर्श नाली की ओर प्रति मीटर 33 मिलीमीटर का ढलान होना चाहिए; जहां पशु शवों को पानी की धार से धोया जाए, ऐसे वधशाला के स्वामी द्वारा उपबंध किया जाएगा।

7. **वधशाला भवन** - किसी वधशाला भवन के विभिन्न सनिर्माण, उसके स्वामी द्वारा नीचे यथा विनिर्दिष्ट रीति से निर्मित किए जाएंगे और बनाए रखे जाएंगे अर्थात्:-

(क) संयंत्र भवन - (i) प्रयोग की गई सामग्री अभेद्य, आसानी से साफ करने योग्य और छीजन तथा क्षरण रोधी होगी (ii) काष्ठ, प्लास्टरबोर्ड और छिद्रितध्वनिल बोर्ड जैसी सामग्री का जो आवशोषक और साफ रखने में कठिन है, प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) फर्श - फर्श अनवशोषक और गैर फिसलन वाली खुरदरे फिनिंश के होंगे और जल निकास के लिए उपयुक्त ढाल होगा।

(ग) लघु निवेशिकाएं - स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्याप्त त्रिज्या वाली लघु निवेशिकाएं सभी कक्षों में फर्शों और दीवारों के जोड़ों पर संस्थापित की जाएंगी और वे 100 मिलीमीटर से कम नहीं होंगी,

(घ) भीतरी दीवारें - (i) भीतरी दीवारें चिकनी और समाट होंगी तथा काचित ईंट, काचित टाइल, सपाट सतह पोर्टलैंड सीमेंट पलास्टर जैसी अभेद्य सामग्री से या अन्य विषहीन, अनतशोषक सामग्री को उपयुक्त आधार से लगाकर संनिर्मित की जाएंगी। (ii) दीवारों को, हाथ ठेलों पशु शव नरहरों द्वारा नुकसान से बचाने के लिए उपयुक्त सफाई किस्म के टक्कर रोक का उपबंध किया जाएगा। (iii) भीतरी दीवारों की फर्श से 2 मीटर की उंचाई तक की सतह धोने योग्य होगी ताकि छींटों को धोया और रोगाणु मुक्त किया जा सके।

(ड) भीतरी छत - (i) कार्य के कमरों में भीतरी छतों की उंचाई 5 मीटर या उससे अधिक होगी और जहां तक संरचनात्मक दशाएं अनुज्ञात करें, भीतरी छतें चिकनी और स्पाट होंगी। (ii) भीतरी छतें पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर, बड़े आकर के सीमेंट एसबेसटास बोर्डों से संनिर्मित की जाएंगी और उनके जोड किसी नम्य सीलिंग यौगिक या अन्य ग्राह्य अभेद्य सामग्री से सील और फिनिश किए जाएंगे ताकि संघनन, फफूंद वृद्धि पपड़ी और धूल का संचयन कम से कम हो। (iii) काचित किस्म के भाग के ऊपर की दीवारें और भीतरी छतें उन्हें साफ बनाए रखने के लिए जलरोधी पेंट से पेंट की जाएंगी।

(च) खिडकी फलक - खिडकी फलक में सफाई बढ़ाने के लिए पैंतालीस डिग्री पर ढलान रखा जाएगा और हाथ ठेलों और वैसी ही उपकरण के संघात से खिड़कियों के कांच को नुकसान से बचाने के लिए फर्श के स्तर से 12 सौ मीलीमीटर के ऊपर

IndiaCode

खिड़कियों की दहलीज रखने के साथ यांत्रिक निकास या काम चलाऊ निकास के माध्यम से समुचित संवात के लिए छत की संरचना में उपबंध किया जाएगा।

(छ) चौखट और दरवाजे - (i) वे द्वार जिनसे होकर उत्पाद? रेलों या हाथ ठेलों में अन्तरित किया जाता है, कम से कम 15 सौ मिलीमीटर ऊंचे और कम से कम 15 सौ मिलीमीटर चौड़े होंगे।(ii) दरवाजे या तो पूरी तरह जंग रोधी धातु संनिर्माण के होंगे या यदि वे कठोर सॉफ्टवुड सहित जंग रोधी धातु के बने हैं तो उन्हें टांके वाली या वेल्ड की गई संधियों के साथ दोनों ओर से ढका जाएगा (iii) दरवाजे के बाजू धातु से अच्छी तरह ढक कर चिपकाए जाएंगे जिससें कि धूल या कीड़े - मकोड़ों के लिए विदरिकायें न रह सकें और वे जोड़, जिन पर दरवाजा दीवारों से जुड़ता है, नम्य सीमिंग यौगिक से प्रभावी तौर पर सील किए जाएंगे।

(ज) परदे और कीट नियंत्रण - सभ खिड़कियों, दरवाजे और अन्य निकासों पर, जहां से मक्खियां प्रवेश कर सकती है, प्रभावी कीट और कृन्तक रोधी परदे लगाए जाएंगे और ऐसे साथ हेडलिंग क्षेत्रों की, जिनका प्रयोग भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बाहरी दीवारों में दरवाजे पर फलाई चेजर पंखों और नलिकाओं या वायु परदों का उपबंध किया जाएगा।

(झ) कृन्तक रोधन - ठोस चिनाई कार्य की दशा में के सिवाए, कचित टाइल, काचित ईंट और वैसी ही सामग्री से संनिर्मत दीवारों में विस्तारित धातु या तार के जालरंध, जो 12.5 मिलीमीटर से अधिक न हो, दीवारों और फर्श में उनके जोड़ पर जड़े जाएंगे और ऐसे जालरंध, चूहों और अन्य कृन्तकों के प्रवेश से बचने के लिए पर्याप्त दूरी तक उध्वांधर और क्षेतिजीय रूप से लगाए जाएंगे।

(ञ) ट्रकों के लिए यानीय क्षेत्र - (i) समुचित नाली मुक्त और भवन से कम से कम 6 मीटर तक कंक्रीट बिछा क्षेत्र, लदाई डाक या जीव-जन्तु प्लेट फार्मों का उन स्थानों पर उपबंध किया जाएगा जहां यानां की लदाई या उतराई की जाती है। (ii) पशुओं को ढोनेवाले ट्रकों के लिए ऐसे स्थानों पर दाब धुलाई जेटों और विसंक्रमण प्रसुविधाओं का भी उपबंध किया जाएगा।

(ट) जल निकास - (i)फर्श के उन हिस्सों पर जहां आर्द्र संक्रियाएं की जाती हैं अच्छा जल निकास होगा और यथासंभव फर्श स्थान के प्रत्येक 37 वर्गमीटर के लिए एक जल निकास निवेश का उपबंध किया जाएगा। (ii) प्रयिक दशाओं के लिए जल निकास निवेशों तक लगभग 20 मिलीमीटर प्रति मीटर ढलान का भी उपबंध किया जाएगा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फर्श कीढलाने नालियों तक एक समान हों, उनमें ऐसे कई गड्ढे हों जिनमें द्रव एकत्रित हो सके (iii) फ्रीजर कमरों या शुष्क भंडारण क्षेत्रों में फर्श नालियों नही होंगी और जब फर्श नालियों उन कमरों में संस्थापित कि जाती है जहाँ चौर गड्ढों में जल सील के पूर्व भराई के बिना वाष्पित होने की संभावना है, वहां उपयुक्त हटाने जाने योग्य धातु के पेंच प्लग की व्यवस्था की जाएगी।

(ठ) जल निकास लाइनों पर चोरगड्ढे और छिद्र - (i) प्रत्येक फर्श नाली को, जिसमें रक्त नालियां भी हैं एक गहरी सील टेप (पी- ,या एल-आकार) से संज्यित किया जाएगा। (ii)जल निकास लाइनें उचित रूप से बाहरी वायु के लिए छिद्रल की जाएंगी और उन पर प्रभावी कृन्तक जालियां लगाई जाएंगी।

(ड) सफाई जल निकास लाइनें - संयंत्र के भीतर शौचालय पैन और मूत्रालयों की जल निकास लाइनें, अन्य जल निकास लाइनों के साथ जोड़ी नहीं जाएंगी और उन्हें ग्रीजकैच बेसिन में जोडा नहीं जाएगा और ऐसी लाइनें संस्थापित की जाएंगी जिससे यदि रिसन बड़े तो उससे उत्पाद या उपस्कर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ढ) प्रकाश व्यवस्था और संचालन - (i) अशतिति कार्य कक्षों में पर्याप्त सीधे प्राकृतिक प्रकाश और संवातन की अथवा यांत्रिक साधनों द्वारा प्रचूर कृत्रिम प्रकाश और संवातन का उपबंध किया जाएगा। (ii) रोशनदानों और खिड़कियों में रंगहीन कांच का, जिसमें प्रकाश का अधिक पारगमन हो, प्रयोग किया जाएगा। (iii) किसी कार्य कक्ष में कांच वाला क्षेत्र, फर्श का लगभग एक चौथाई होगा और ऐसा अनुपात वहां बढ़ा दिया जाएगा जहां पार्श्वस्थ भवन, शिरोपरी सांकरी और उत्तोलन जैसे अवरोध होंगे। (iv) अच्छी क्वालिटी का वितरित कृत्रिम प्रकाश और उतनी दूरी पर जितना केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, सभी स्थानों पर जहां पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध नहीं है या अपर्याप्त है, लगाया जाएगा।

(ण) प्रत्येक बूचडखाने में वध स्थान कक्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 200 लक्स से अन्यून समग्र तीव्रता के वितरित कृत्रिम प्रकाश का उपबंध किया जाएगा और उन स्थानों पर जहां मांस का निरीक्षण किया जाता है, कृत्रिम प्रकाश की समग्र तीव्रता 500 लक्स से अन्यून होगी।

(त) प्रत्येक वधशाला में बाहरी वायु के संचालन के उचित और पर्याप्त साधनों का उपबंध किया जाएगा और वधहाल का संनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि बारेसी किए गए पशु शव सीधे सूर्य के प्रकाश के सामने न पड़े।

(थ) सम्पूर्ण परिसरों में ताजे जल का पर्याप्त, सुरक्षित, पेय और सतत प्रदाय उपलब्ध होगा।

(द) फर्श की धुलाई के सामान्य प्रयोजन के लिए दबाव अधिमानतः सम्पूर्ण फर्श की धुलाइ के लिए 200 से 330 के पी ए रहेगा।

(ध) पशु शवों की पूर्ण और प्रभावी धुलाई के लिए, 1000 के पी ए से 1700 के पी ए तक के बीच उचित दबाव रखा जाएगा।

(न) वध के फर्श और कार्य विभागों पर अधिमानतः कम से कम 37 वर्ग मीटर के लिए फर्श धुलाई बिन्दु का उपबंध किया जाएगा।

(प) काम के घंटों के दौरान वधहाल और कार्य कक्षों में साफ गर्म जल का सतत प्रदाय उपलब्ध रहेगा और उपकरण को बार-बार विसंक्रमित करने के लिए अपेक्षित गर्म जल 82 डिग्री सेलशियस से कम नहीं होगा।

(फ) जहां सफाई के रख-रखाव के लिए आवश्यक हो, उपकरण सन्निर्मित और संसथापित किए जाएंगे ताकि पूर्णतः सफाई होती रहे।

(ब) किसी बूचडखाने में निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग नही किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) खाद्य उत्पादों के लिए प्रथुक्त उपकरण में ताम्बा और उसकी मिश्रण धातु, (ii)खाद्य पदार्थों को उठाने धरने के उपकरण में किसी रूप में अरगजी। (iii)उत्पाद जोन में रंजित सतह वाले उपकरण। (iv) तामचीनी के आदान या उपकरण वांछनीय नहीं है, और (v) सीसा;

(भ) सभी स्थायी रूप से माउंट किए गए उपकरण, सफाई और निरीक्षण के लिए पहुंच की व्यवस्था हेतु दीवारों से पर्याप्त रूप से दूर (कम से कम 300 मिलीमीटर) संस्थापित किए जाएंगे।

IndiaCode

(म) सभी स्थायी रूप से माउंट किए गए उपकरण, सफाई और निरीक्षण के लिए पहुंच की व्यवस्था हेतु फर्श से पर्याप्त रूप से ऊपर (कम से कम 300 मिलीमीटर) संस्थापित किए जाएंगे या पूरी तरह फर्श क्षेत्र में सील (जलरोधी) किए जाएंगे ;

8. वधशाला में नियोजन - (1) किसी वधशाला का स्वामी या अधिभोगी, पशुओं का वध करने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नियोचित नहीं करेगा जब तक कि उसके पास नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी विधि मानव अनुज्ञप्ति या प्राधिकार न हो।

(2) कोई व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली है, किसी वधशाला में किसी रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से पीड़ित है, किसी पशु का वध करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

9. वधशाला का निरीक्षण (1) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन, किसी वधशाला का, कार्य के घंटों के दौरान किसी भी समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है, वधशाला के स्वामी या उसके भारसाधक व्यक्ति को सूचना दिए बिना, उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन, निरीक्षण के पश्चात् अपनी रिपोर्ट भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और नगर पालिका स्थानीय प्राधिकारी को समुचित कारवाई के लिए, जिसके अन्तर्गत इन नियमों के किसी उपबंध के अतिलंघन की दशा मे, विधिक कार्यवाई संस्थित करना भी है, भेजेगा।

(फा.सं.19/1/2000 - ए डब्ल्यू डी)
धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

IndiaCode